उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय : महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
सूचना भवन, लाडपुर रिंग रोड़, देहरादून
E-mail : infodg.uk@gmail.com दूरभाष : 0135–2662971 / फैक्स : 2662334

पत्रांक : 34 /सू.एवं.लो.सं.वि.(इलै.मी)–02 /2022 दिनांक : 14 जुलाई 2022

रेडियों जिंगल्स / स्पॉट का निर्माण एवं FM Radio/AIR-FM Radio पर प्रचार–प्रसार हेतु एजेंसी की सूचीबद्धता हेतु Expression of Interest (EOI)

सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा समय–समय पर राज्य सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों एवं शासकीय योजनाओं का प्रचार–प्रसार आमजन में विभिन्न **FM Radio/AIR-FM Radio** के माध्यम से किया जाता है। देशभर में संचालित **FM Radio/AIR-FM Radio** पर डी.ए.वी.पी. (**Bureau of Outreach and Communication**) / प्रसार भारती द्वारा निर्धारित दरों पर देहरादून में स्थापित विज्ञापन एजेंसी के माध्यम से विज्ञापन / रेडियों जिंगल्स / स्पॉट निर्माण कराये जाने हेतु विभाग द्वारा एजेंसी / फर्म को सूचीबद्ध किये जाने के लिए आवेदन / प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है।

उक्त कार्य हेतु इच्छुक विज्ञापन फर्म / एजेंसी / कंपनी **Expression of Interest (EOI)** के समस्त अभिलेख एवं EOI हेतु शर्तों से संबंधित सभी अभिलेख स्कैन कर **PDF. Format** में पैन ड्राइव में सीलबंद लिफाफे में डाक द्वारा अथवा स्वयं उपस्थित होकर दिनांक 30 जुलाई, 2022, सायं 5.00 बजे तक कक्ष संख्या–115, प्रथम तल, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, सूचना भवन, लाड़पुर, रिंग रोड, देहरादून में विभाग में जमा कर सकते है। प्राप्त प्रस्तावों को दिनांक 02 अगस्त, 2022 को प्रातः 11.00 बजे विभागीय सभागार में आवेदकों की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति में खोला जायेगा। **EOI** से संबंधित आवेदन पत्र एवं अन्य अभिलेख विभागीय वेबसाइट http://www.uttarainformation.gov.in/ से डाउनलोड किये जा सकते है।

ह. /–
(रणबीर सिंह चौहान)
महानिदेशक

उत्तराखण्ड सरकार

कार्यालय महानिदेशक सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग,उत्तराखण्ड

सूचना भवन ,लाडपुर रिंग रोड (निकट वाणिज्य कर विभाग) देहरादून

रेडियों जिंगल्स/स्पॉट का निर्माण एवं FM Radio/AIR-FM Radio पर प्रचार–प्रसार हेतु एजेंसी की सूचीबद्धता हेतु Expression of Interest (EOI)

सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा समय–समय पर राज्य सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों एवं शासकीय योजनाओं का प्रचार–प्रसार आमजन में विभिन्न **FM Radio/AIR-FM Radio** के माध्यम से किया जाता है। देशभर में संचालित **FM Radio/AIR-FM Radio** पर डी.ए.वी.पी. (**Bureau of Outreach and Communication**)/प्रसार भारती द्वारा निर्धारित दरों पर देहरादून में स्थापित विज्ञापन एजेंसी के माध्यम से विज्ञापन/रेडियों जिंगल्स/स्पॉट निर्माण कराये जाने हेतु विभाग द्वारा एजेंसी/फर्म को सूचीबद्ध किये जाने के लिए आवेदन/प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है।

उक्त कार्य हेतु इच्छुक विज्ञापन फर्म/एजेंसी/कंपनी **Expression of Interest (EOI)** के समस्त अभिलेख एवं EOI हेतु शर्तों से संबंधित सभी अभिलेख स्कैन कर **PDF. Format** में पैन ड्राइव में सीलबंद लिफाफे में डाक द्वारा अथवा स्वयं उपस्थित होकर दिनांक 30 जुलाई, 2022, सायं 5.00 बजे तक कक्ष संख्या–115, प्रथम तल, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, सूचना भवन, लाड़पुर, रिंग रोड, देहरादून में विभाग में जमा कर सकते है। प्राप्त प्रस्तावों को दिनांक 02 अगस्त, 2022 को प्रातः 11.00 बजे विभागीय सभागार में आवेदकों की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति में खोला जायेगा। **EOI** से संबंधित आवेदन पत्र एवं अन्य अभिलेख विभागीय वेबसाइट **http://www.uttarainformation.gov.in/** से डाउनलोड किये जा सकते है।

तकनीकी शर्ते :

1. फर्म/एजेंसी/कंपनी को विगत 01 वर्ष में केन्द्र/राज्य सरकार/पब्लिक सैक्टर से संबंधित रेडियों जिंगल्स के प्रसारण संबंधी कार्य का प्रमाण पत्र **(न्यूनतम एक लाख रुपये प्रतिवर्ष कार्यादेश) संलग्न** करना होगा।
2. फर्म/एजेंसी/कंपनी का कार्यालय देहरादून में स्थापित होना चाहिए। पते की पुष्टि हेतु जी.एस.टी. प्रमाण पत्र/किरायानामा/बिजली बिल **संलग्न** करना होगा।
3. फर्म/एजेंसी/कंपनी को न्यूनतम दो **FM Radio** द्वारा विज्ञापन कार्य हेतु अधिकृत एजेंसी संबंधी **प्रमाण पत्र संलग्न** करना होगा।

4- फर्म/एजेंसी/कंपनी को उत्तराखण्ड में जी.एस.टी. में पंजीकृत होना अनिवार्य है। पुष्टि हेतु जी.एस.टी. पंजीकरण प्रमाण पत्र **संलग्न** करना होगा।

5- फर्म/एजेंसी/कंपनी का विगत तीन वित्तीय वर्ष का औसत वार्षिक टर्न ओवर **रुपये 25,00,000/– (रुपये पच्चीस लाख मात्र)** होना चाहिए। पुष्टि हेतु सी.ए. का प्रमाण पत्र **संलग्न** करना होगा। (केवल सी.ए. का प्रमाण पत्र **संलग्न** करे। बैंलेस शीट नही।)

6- फर्म/एजेंसी/कंपनी को विगत तीन वित्तीय वर्ष का आई.टी.आर. संलग्न करना होगा।

7- फर्म/एजेंसी/कंपनी का पैन कार्ड होना अनिवार्य है। पुष्टि हेतु पैन कार्ड की छायाप्रति **संलग्न** करना होगा।

8. फर्म/एजेंसी/कंपनी को राज्य सरकार/भारत सरकार से ब्लैक लिस्टेड नही किया गया है, इस संबंध में शपथ पत्र **संलग्न** करना होगा।

अन्य शर्तें

1. चयनित फर्म/एजेंसी/कंपनी को **रू. 5,00,000/–(रूपये पांच लाख मात्र)** का Performance guarantee in form of बैंक गारंटी/एफ.डी.आर Pledged in favour of Director General, DIPR जमा करना होगा, जो विभाग द्वारा सूचीबद्धता के कार्यकाल तक बन्धक रखी जायेगी।
2. उक्त कार्य हेतु फर्म/एजेंसी/कंपनी को 02 वर्ष हेतु विभाग में सूचीबद्ध किया जायेगा। उक्त सूचीबद्धता को विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार विस्तारित भी किया जा सकता है।
3. फर्म/एजेंसी/कंपनी को विज्ञापन कार्यो के अन्तर्गत **FM Radio/AIR-FM Radio** के माध्यम से प्रचार–प्रसार करने का अनुभव होना चाहिए।
4. **FM Radio से तात्पर्य** भारत सरकार के डी.ए.वी.पी. (**Bureau of Outreach and Communication**) में सूचीबद्ध विभिन्न **FM Radio** के माध्यम से डी.ए.वी.पी. दरों पर प्रचार–प्रसार करना।
5. **AIR-FM Radio से तात्पर्य प्रसार भारती ऑल इंडिया रेडियो (आकाशवाणी) के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न FM Radio** के माध्यम से प्रसार भारती की दरों पर प्रचार–प्रसार करना है।

6- फर्म/एजेंसी/कंपनी को विभागीय आवश्यकता के अनुसार जिंगल्स/रेडियों स्पॉट निःशुल्क निर्मित करने होंगे। समय–समय पर प्रचार–प्रसार हेतु विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये रेडियों जिंगल्स/स्पॉट भी विज्ञापन हेतु दिये जायेंगे।

7- अभिलेखों की प्रमाणिकता पर अंतिम निर्णय महानिदेशक, सूचना का होगा। ऐतिहासिक प्रवृत्ति का कोई अभिलेख जो निविदा प्रकाशन की तिथि से पूर्व ही अस्तित्व में हो, उसे फर्म द्वारा प्रस्तुत करने का निर्णय महानिदेशक, सूचना द्वारा लिया जा सकता है।

8- फर्म/एजेंसी/कंपनी को सूचीबद्ध करने अथवा नही करने का सर्वाधिकार महानिदेशक, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, उत्तराखण्ड का होगा।

9- किसी भी विवाद के लिए न्याय क्षेत्र देहरादून होगा।

महानिदेशक
सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग,
उत्तराखण्ड

नोटरी से सत्यापित शपथ–पत्र (100/– रुपये में)

शपथ पत्र का प्रारूप

मैं ....पुत्र श्री .... निवासी .... शपथ पूर्वक निम्नानुसार यह बयान करता/करती हूं कि:–

1. यह कि शपथकर्ता का उपरोक्त नाम व पता सही है।
2. यह कि शपथकर्ता .... में .... के पद पर कार्यरत है।
3. मैं घोषणा करता हूं कि हमारी फर्म/कम्पनी/एजेंसी द्वारा जमा किये गये सभी दस्तावेज सत्य हैं।
4. मैं घोषणा करता हूं कि हमारी फर्म/कम्पनी/एजेंसी द्वारा दिये गये सभी विवरण सत्य हैं।
5. मैं घोषणा करता हूं कि हमारी फर्म/कम्पनी/एजेंसी द्वारा दिये गये सभी विवरण सत्य हैं।
6. मैं घोषणा करता हूं कि हमारी फर्म/कम्पनी/एजेंसी किसी भी राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/पब्लिक सैक्टर की संस्था द्वारा ब्लैकलिस्टेट नही किया गया है।
7. कोई भी प्रमाण–पत्र असत्य पाये जाने पर शपथकर्ता के विरुद्व विधिक कार्यवाही विभाग द्वारा किये जाने पर शपथकर्ता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

शपथकर्ता

हस्ताक्षर

(शपथकर्ता का नाम)

पदनाम

पता